**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 3742**

**जिसका उत्तर बुधवार, 18 दिसंबर, 2024 को दिया जाएगा**

**पाम तेल की गुणवत्ता**

**3742. श्री बैजयंत पांडा:**

**क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को खाद्य उत्पादों में पाम तेल के व्यापक उपयोग की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पाम तेल के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है और यदी हां, तो इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा खाद्य उत्पादों में पाम तेल की गुणवत्ता, सुरक्षा और उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार पाम तेल के स्वास्थ्यवर्धक और अधिक संवहनीय विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए पहल करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो उक्त पहलों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**
**(श्री बी. एल. वर्मा)**

(क): पाम ऑयल खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.2.1(19) के अंतर्गत एक मानकीकृत उत्पाद है।

देश में पाम ऑयल की कुल उपलब्धता/अनुमानित खपत **अनुलग्नक 'क'** में दी गई है।

(ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के अनुसार खाद्य व्यवसाय संचालकों को निम्नलिखित प्रावधानों का पालन करना होगा:

- सामग्री की सूची में सामग्री के लिए एक विशिष्ट नाम का उपयोग किया जाएगा:

बशर्ते कि संबंधित वर्गों में आने वाली सामग्री के लिए, निम्नलिखित वर्ग शीर्षकों का उपयोग किया जा सकता है, अर्थात्: -

| क्र. सं. | वर्ग का नाम | वर्ग शीर्ष |
|---|---|---|
| 1 | खाद्य वनस्पति तेल | विशिष्ट खाद्य तेल जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल आदि का नाम बताइये |

- खाद्य पदार्थों के प्रत्येक पैकेज पर खाद्य पदार्थ का नाम लिखा होना चाहिए जो पैकेज में मौजूद खाद्य पदार्थ की वास्तविक प्रकृति को दर्शाता हो। उपर्युक्त विनियम के अध्याय-2 में 'पूर्व-पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की लेबलिंग' निर्धारित की गई है और सभी एफ.बी.ओ. निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

(ग): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई (अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से) और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण और नमूनाकरण करते हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ खाद्य नमूने गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, एफएसएस अधिनियम 2006, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषी खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने एक भारतीय मानक आईएस 8323: 2018 'पाम ऑयल - विनिर्देश (पहला संशोधन)' विकसित किया है, जो गुणवत्ता, सुरक्षा, पैकिंग और लेबलिंग से संबंधित आवश्यकताओं और पाम ऑयल के लिए नमूनाकरण और परीक्षण के तरीकों को निर्धारित करता है।

(घ): खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट खाद्य उत्पादों के लेबल पर घोषित सामग्री की जानकारी के आधार पर उत्पाद का चयन करना उपभोक्ताओं का संसूचित विकल्प है।

*******

अनुलग्नक-क

**पाम तेल की गुणवत्ता के संबंध में श्री बैजयंत पांडा द्वारा दिनांक 18.12.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 3742 **के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**देश में पाम तेल की कुल उपलब्धता/खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:-**

| **कुल खाद्य तेल मांग/खपत में पाम ऑयल का % हिस्सा (मात्रा एलएमटी में)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **तेल वर्ष (नवंबर-दिसंबरt)** | **पाम तेल का घरेलू उत्पादन *** | **पाम तेल आयात (कच्चा + परिष्कृत)**** | **पाम तेल की कुल उपलब्धता** | **कुल खाद्य तेल उपलब्धता/मांग/ खपत (घरेलू उत्पादन+आयात)** | **खाद्य तेलों की कुल खपत में % हिस्सा** |
| 2019-20 | 2.77 | 72.45 | 75.22 | 240.71 | 31.25% |
| 2020-21 | 2.7 | 83.14 | 85.84 | 246.03 | 34.89% |
| 2021-22 | 3.14 | 80.51 | 83.65 | 258.44 | 32.37% |
| 2022-23 | 3.46 | 97.95 | 101.41 | 289.23 | 35.06% |
| 2023-24 | 3.9 | 89.15 | 93.05 | 278.3 | 33.44% |

**स्रोत - *डीएएफडब्ल्यू, **डीजीसीआईएस**